आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

स्टाम्प. अपील वाद संख्या– 46 / 2023

किरण देवी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
06.04.2023	प्रस्तुत अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 2463 / 2022 में पारित आदेश दिनांक 14.12.2022 के आलोक में सहायक निबंधक महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के वाद संख्या 35 / 2021–22 में दिनांक 04.01.2022 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। जिस आदेश से सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर ने अपीलकर्ता के निबंधित केवाला दिनांक 31.05.2020 में कमी मुद्रांक पाते हुए कमी मुद्रांक की राशि 435081 तथा उस पर जुर्माने की राशि 43508 अर्थात कुल 478589 / रू जमा करने का आदेश दिया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में अंकित है कि :– "It is needless to state that in case, appropriate appeal is filed within a period of four weeks from today, the same shall be heard on merits without the Appellate Authority being impeded by the issue of limitation and a reasoned and a speaking order shall be passed thereon, in accordance with law, within a period of twelve weeks,	

WEB COPY NOT OFFICIAL

thereafter."

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा हाजिरी दी गयी है, परंतु पुकार पर अनुपस्थित है। प्रश्नगत मामला माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित होने के कारण त्वरित कार्रवाई आवश्यक पाते हुए वाद का निस्तारण किया जा रहा है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता को अधिग्रहण के बिंदु पर सविस्तार सुना। विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान बताया कि प्रस्तुत मामले में अपीलकर्ता ने भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47(6) का अनुपालन नहीं किया है।

अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47(4), जिसमें अंकित है कि *Any person aggrieved by an order of the Collector under sub-section (2) or (3) may appeal to the Commissioner concerned of the administrative division. Such appeal shall be preferred within sixty days of the order and shall be heard and disposed of by the Commissioner.* के अंतर्गत इस न्यायालय (आयुक्त) में वाद दायर करने के पूर्व भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47(A) , (6) जिसमें अंकित है – *Before filing an appeal under sub-section (4), the aggrieved party shall deposit 50% (fifty percent) amount of the payable deficit Stamp duty chargeable on the market value of the property as determined by the Collector.* अर्थात अपील दायर करने के पूर्व कमी मुद्रांक की राशि का 50% जमा करना अनिवार्य है। परंतु अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय में वाद दायर करने के पूर्व भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47A (6) का अनुपालन नहीं किया

WEB COPY NOT OFFICIAL

गया है।

उपर्युक्त के आलोक में भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47A (6) का अनुपालन नहीं करने के कारण प्रस्तुत अपीलवाद अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL